न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 10/2017

वाद दायरी दिनांक : 04/01/2017

निर्णय दिनांक : 7/2/2017

राजपाल यादव पुत्र सूबे सिंह यादव, जाति यादव निवासी 953, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर राज0।
— वादी

बनाम

1. कानाराम खारोल पुत्र गोपी
2. नाथू पुत्र गपजी
3. रामनिवास पुत्र गपजी
4. जगदीश पुत्र श्योनारायण
5. गोपाल पुत्र रामेश्वर

(1 से 5) समस्त जातियान खारोल निवासीगण नासनोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर रा0

6. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री रमेश पारीक
श्री रामदयाल बैरवा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 7/2/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 20 के आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.3800 है0 किस्म नहरी 2 वाके ग्राम नासनोता पटवार हल्का नासनोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त

Scanned by CamScanner

की भूमि है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 398 वादी का हिस्सा 19/48 प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 1/8, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 5 का 7/96 हिस्सा है जिसको पक्षकारान मुताबिक हक हिस्सा काश्तकार लगान अदा करते आ रहे है। खातेदारी में शामिल होने के कारण हम फरीकेन को आराजी का लगान अदा करने काश्त करने फसल करने तथा भूमि के विकास को लेकर कठिनाई रहती है। अतः वादी आराजीयात मुतदाविया का तकासमा कर अपना हिस्सा नियमानुसार अलग कराना चाहते है। विवाद मूल दिनांक 09.08.2016 को प्रतिवादी को आराजीयात का तकासमा करने के लिए कहा तो उन्होने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। अतः यही विवाद मूल पैदा होकर दावा करना लाजमी आया है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि दावा विरूद्व प्रतिवादी बाबत तकासमा आराजियात डिकी फरमाया जाकर आराजीयात मद नम्बर 1 और 2 वाद पत्र का वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के मध्य मुताबिक हक हिस्सा तकासमा फरमाया जाकर वादी का हिस्सा वादी की खातेदारी में अलग दर्ज फरमाया जाये। तद्नुसार लगान का भी विभाजन फरमाया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 24/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की तामिल प्रोपर होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 फोरमल पक्षकार है, जिसकी ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 20 के अनुसार विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि विवादित आराजी

Scanned by CamScanner

विधिवत रूप से अविभाजित आराजीयात हैं तथा विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा न ही कोई आपत्ति पेश हुयी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी है, इसलिये उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 20 के आराजी खसरा नम्बर 398 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य कब्जे अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर राज0।
दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..2

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

प्रारम्भिक डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) द्वितीय जिला जयपुर

व इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

राजपाल मीणा पुत्र स्व० श्री मालाराम जाति मीणा नि. 90-3, दौलत नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर बनाम 1. कानाराम स्वामी पुत्र गोपी 2. बाबू 3. रामनिवास 4. जगदीश पुत्र श्योनारायण 5. गोपाल पुत्र रघुनाथ जाति स्वामी नि. बाकलाना

दावा बावत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ....

मुकदमा न. 10/2017 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रमेश पारीक

व हाजिरी ....

मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अतः वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी क्र. 20 के आराजी ख. नं. 398 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 है० वाके ग्राम बाकलाना, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5 के मध्य खाते अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा निर्मित किया जाता। मुकदमा

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वगैरह .... बाबत ....

तारीख अदायगी तक .... फीसदी [illegible] आज की तारीख से

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक [illegible] को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 02 सन 2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner